संख्या:- 1923/उन्तीस/04/02-(02घोषणा)/2004

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तरांचल जल संस्थान
देहरादून।

देहरादून: दिनांक 22 सितम्बर, 2004

पेयजल अनुभाग

विषय जनपद देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में डाक्टर गंज पेयजल योजनान्तर्गत डांडी बस्ती में पेयजल आपूर्ति में सुधार कार्य तथा जीवन गढ़ क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति मे सुधार कार्य की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 1502/धनावटन (ग्रामीण)/2004-05 दिनांक 24.07.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में डाक्टरगंज पेयजल योजना के अन्तर्गत डांडी बस्ती में पेयजल आपूर्ति के सुधार कार्य के आगणन अनु0लागत रू0 24.00 लाख तथा जीवन गढ़ क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति में सुधार कार्य के आगणन रू0 25.63 लाख का टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी कमशः रू 22.13 लाख (रू0बाईस लाख तेरह हजार मात्र) एवं 23.96 लाख (रू0 तेईस लाख छियानबे हजार मात्र) की लागत अर्थात कुल रू0 46.09 लाख (रू0 छियालिस लाख नौ हजार मात्र) की लागत के आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिये जाने एवं उक्त योजनाओं पर चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 में व्यय हेतु कमशः रू0 10,00,000/(रू0 दस लाख मात्र) एवं रू0 10,00,000/(रू0 दस लाख मात्र) अर्थात कुल रू0 20,00,000/(रू0 बीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार आगणन/मानचित्र पर अधीक्षण अभिन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एंव लोक निमार्ण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य की समयबद्धता एंव गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(7) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशो तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए ।

(8) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है ,उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

(9) निमार्ण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

(10) निमार्ण सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर परचेज नियमो का पालन करना सुनिश्चित करें।

(11) स्वीकृत लागत के अन्तर्गत सेन्टेज आदि व्यय निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ही लिये जायेगें।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय 31 मार्च, 2005 तक सुनिश्चित किया जाए। कार्य की गुंणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे

13 यदि धनराशि बैंक में रखी जायेगी तो उस पर समय–समय पर अर्जित ब्याज राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

14 स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एव उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

2 प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून, कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी तथा आहरण के तुरन्त बाद बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एंव महालेखाकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

2 उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम–03–ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान /राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

क्रमशः----3

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 1211/वित्त अनु0–3/2004 दिनांक 18 सितम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या:– 1923/उन्तीस/04/02–(02 घोषणा)/2004,तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–महालेखाकार,, उत्तराचंल देहरादून ।
2–मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3–जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
4–महाप्रबन्धक उत्तराचंल जल संस्थान,पौड़ी ।
5–अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड,, उत्तराचंल जल संस्थान,देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को शासन में भेजकर आगणनों में की गयी कटौतियों के विवरण को नोट करने हेतु निर्देशित करें ।
6–निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री ।
7–वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग/वित्त बजट अनुभाग ।
8–निदेशक,एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव